

अंतरिम कार्यवाही दिनांक 09-05-2018

अनावेदक पक्ष के निवेदन पर बाद विचार दर्शित आधार पर न्यायहित में प्रकरण सुनवाई में लिया गया।

आवेदक/राज्य द्वारा श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।

अनावेदक/अभियुक्त रामकरन की ओर से श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/अभियुक्त रामकरन की ओर से श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि उक्त अभियुक्त द्वारा संपूर्ण अर्थदण्ड की राशि 11000/- रुपये पूर्व में ही दिनांक 22.10.08 को जमा की जा चुकी है, जिसके संबंध में उनके द्वारा अर्थदण्ड से संबंधित रसीद की फोटोप्रति पेश करते हुये अर्थदण्ड की वसूली हेतु लम्बित इस विविध प्रकरण की कार्यवाही को समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय में पदस्थ प्रवर्तन लिपिक श्री ओमप्रकाश शर्मा द्वारा उक्त रसीद का मिलान कराया गया तो उन्होंने अभिलेख देखकर बताया कि उक्त रसीद सही है और अभियुक्त द्वारा सत्र प्र0क्र0 107/02 में प्रस्तुत रसीद अनुसार दिनांक 22.10.08 को संपूर्ण अर्थदंड की राशि 11000 रुपये जमा कराई जा चुकी है।

इस प्रकार न्यायालय के समक्ष यह पाया जाता है कि प्रकरण में संपूर्ण अर्थदण्ड की राशि पूर्व में ही जमा हो चुकी है और अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः यह विविध प्रकरण को निरस्त किया जाता है।

प्रकरण में पूर्व से नियत तिथि निरस्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

(सतीश कुमार गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड